

# प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 13.02.2024

## **20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर व 1 किग्रा यूरिया के साथ 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता मैना देवी पत्नी स्व० दिलीप केवट निवासी सैरैया बाजार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर व 01 किग्रा यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 116/24 धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-**

मैना देवी पत्नी स्व० दिलीप केवट निवासी सैरैया बाजार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं० 116/24 धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-**

1. मु०अ०सं० 399/23 धारा 60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि० थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 120/2020 धारा 60 आबकारी अधि० थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 116/24 धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि० थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तार की टीम-**

1. प्र०नि० शशिभूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० अनित कुमार राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. का० अशोक कुमार यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का० राजू कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. म०का० जागृति सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर